

# उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)  
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-283/3-3(5)/19-20  
सेवा में,

दिनांक, 07 जुलाई, 2020

समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/  
निदेशक/उप-निदेशक,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :- वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अन्तर्गत संबंधित वन प्रभागों को निम्न तालिकानुसार जिला/राज्य स्तर पर हरेला पर्व मनाए जाने के उद्देश्य से कुल ₹ 44.00 लाख धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। धनराशि के उपयोग हेतु निम्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. आवंटित धनराशि का न्यूनतम 70% भाग पौधों के रोपण हेतु उपयोग में लाया जाये।
2. उक्त कार्य की, रोपण स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग सहित विधिवत डॉक्यूमेंटेशन/फोटोग्राफी भी की जाए जिन्हें कैम्पा को ई-मेल के माध्यम से कार्य की रिपोर्ट सहित उपलब्ध कराया जाये।
3. हरेला पर्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम, गोष्ठी व जागरूकता अभियान के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा कोविड-19 से संबंधित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की एम0आई0एस0 में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

S. No.	Name of Forest Division	Amount (Lakh Rs.)
<b>NORTH KUMAON CIRCLE</b>		
1	ALMORA DIVISION	1.00 ✓
2	ALMORA CS DIVISION	1.00 ✓
3	PITHORAGARH DIVISION	1.00 ✓
4	CHAMPAWAT DIVISION	1.00 ✓
5	BAGESHWAR DIVISION	1.00 ✓
<b>Total in NORTH KUMAON CIRCLE</b>		<b>5.00</b>
<b>SOUTH KUMAON CIRCLE</b>		
6	NAINITAL DIVISION	1.50 ✗
7	RAMNAGAR SC DIVISION	1.00 ✗
8	RANIKHET S DIVISION	1.00 ✓
9	NAINITAL S DIVISION	1.00 ✓
<b>Total in SOUTH KUMAON CIRCLE</b>		<b>4.50</b>
<b>WESTERN CIRCLE</b>		
10	TARAI EAST DIVISION	1.00 ✗
11	TARAI WEST DIVISION	1.00 ✗
12	TARAI CENTRAL DIVISION	1.00 ✓
13	HALDWANI DIVISION	1.50 ✓
14	RAMANAGAR DIVISION	1.00 ✓
<b>Total in WESTERN CIRCLE</b>		<b>5.50</b>
<b>Total KUMAON</b>		<b>15.00</b>

S. No.	Name of Forest Division	Amount (Lakh Rs.)
	<b>BHAGIRATHI CIRCLE</b>	
15	UTTARKASHI S DIVISION	1.50 ✓
16	UTTARKASHI DIVISION	1.00 ✓
17	TEHRI DAM1 DIVISION	1.00 X
18	TEHRI DAM2 DIVISION	1.00 X
19	NARENDRA NAGAR DIVISION	1.00 ✓
20	TEHRI DIVISION	1.00 ✓
	<b>Total in BHAGIRATHI CIRCLE</b>	<b>6.50</b>
	<b>GARHWAL CIRCLE</b>	
21	PAURI SC DIVISION	1.00 ✓
22	BADRINATH DIVISION	1.00 ✓
23	GARHWAL DIVISION	1.00 ✓
24	ALAKNANDA S DIVISION	1.00 X 0.60
25	RUDRAPRAYAG DIVISION	1.50 X
	<b>Total in GARHWAL CIRCLE</b>	<b>5.50</b>
	<b>SHIVALIK CIRCLE</b>	
26	LANSLOWNE S DIVISION	1.00 ✓
27	KALSI S DIVISION	1.00 ✓
28	LANSLOWNE DIVISION	1.00 ✓
29	HARIDWAR DIVISION	1.00 X
30	DEHRADUN DIVISION	2.00 ✓
	<b>Total in SHIVALIK CIRCLE</b>	<b>6.00</b>
	<b>YAMUNA CIRCLE</b>	
31	UPPER YAMUNA DIVISION	1.00 X
32	CHAKRATA DIVISION	1.00 ✓
33	MUSSOORIE DIVISION	1.00 ✓
34	TONS DIVISION	1.00 ✓
	<b>Total in YAMUNA CIRCLE</b>	<b>4.00</b>
	<b>Total Garhwal Zone</b>	<b>22.00</b>
	<b>WILDLIFE ZONE</b>	
35	NANDADEVI NATIONAL PARK	1.00 X
36	KEDARNATH DIVISION	1.00 X
37	Rajaji Tiger Reserve	1.00 X
38	Corbett Tiger Reserve	1.00 X
39	Kalagarh Tiger Division	1.00 X
40	Gangotri National Park	1.00 X
41	Govind Pashu Vihar	1.00 X
	<b>Total</b>	<b>7.00</b>
	<b>All Total</b>	<b>44.00</b>

8  
ep

अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन रहेगा।

## नियम एवं शर्तः—

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2018' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय।
3. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले ₹2000 से अधिक धनराशि के भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा-निर्देशों/शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम स्तर द्वारा चैक/RTGS/डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।
8. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
9. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
10. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
11. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर इस आशय का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, जिसमें कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य कराए जाने का वर्ष तथा व्यय धनराशि अंकित हो। साथ ही इसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित" भी प्रमुखता से अंकित किया जाये।
12. वृक्षारोपण एवं अन्य स्थलीय कार्यों को संपादित किये जाते समय, कार्य को जन-समारोह के रूप में मनाते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों, स्थनीय जनमानस, युवाओं, छात्र-छात्राओं आदि को भी आमंत्रित किया जाये।
13. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
14. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
15. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
16. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
17. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
18. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
19. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
20. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
21. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
22. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
23. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
24. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।


25. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लेसीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,



(डॉ० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,


 उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 283 /3-3(5)/2019-20 दिनांकित

प्रतिलिपि :-


1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ जोन, उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त संबंधित वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,



(डॉ० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

 उत्तराखण्ड कैम्पा